

पेज संख्या 1/3
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 92/2017

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

हकाराम पुत्र श्री दुदाराम उम्र वयस्क
जाति प्रजापत निवासी देवली पाबुजी
उपतहसील खिवाडा जिला पाली।

सरकार जरिये उपतहसीलदार खिवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

:- निर्णय :-

दिनांक:- 12.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 106/2016 में उपतहसीलदार खिवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार खिवाडा ने अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम देवली पाबुजी तहसील रानी के खसरा नंबर 465/665 रकबा 1.62 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 06.10.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 21.10.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर बेदखली, जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी देवली पाबुजी द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण को प्रकरण उपतहसील खिवाडा में अपीलाण्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य सबूत के दर्ज करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट पर दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही मौका रिपोर्ट, खसरा परिवर्तन, जमाबंदी, गिरदावरी रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि मौके पर गिरदावरी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी के बयानों से अपीलाण्ट से अपीलाण्ट के विरुद्ध 91(2) का मामला कतई बनना नहीं पाया जाता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्य एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किये हैं। अतः अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम देवली पाबूजी तहसील रानी के खसरा नंबर 465/665 रकबा 1.62 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडी की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम देवली पाबूजी तहसील रानी के खसरा नंबर 465/665 रकबा 1.62 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडी की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का देवली पाबूजी द्वारा उपतहसीलदार खिंवाडा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हकाराम पुत्र श्री दुदाराम जाति प्रजापत द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 06.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त पेशी पर हकाराम स्वयं उपरिस्थित होकर वादग्रस्त आराजी से अतिक्रमण हटाने हेतु समय चाहा। एवं हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध कराये गये। उसके पश्चात दिनांक 21.10.2016 को जैर आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। उपतहसीलदार खिंवाडा की आदेशिका पर अपीलाण्ट हकाराम स्वयं के हस्ताक्षर हैं जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का उक्त प्रकरण के संबंध में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि किस्म गै0मु0 नाडी है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान



राजस्थान अपील प्राधिकरण
पाली

पेज संख्या 3/3

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 106/2016 में उपतहसीलदार खिवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशासम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली